



# यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पी-2, सैक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा।

पत्रांक: वाई.ई.ए/वित्त/023/2025  
दिनांक 07-04-2025

## कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.03.2024 के मद संख्या 84/04 में संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विभिन्न परिसम्पत्तियों के आवंटन/बिड दरों का निर्धारण निम्नवत् किया गया है :-

क्र० सं०	श्रेणी	वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित आवंटन/नीलामी दर (प्रति वर्ग मीटर)	
1.	आवासीय	35000	
2.	वाणिज्यिक	सैक्टर प्लान व्यवसायिक (FAR Upto 2)	70000
		मास्टर प्लान व्यवसायिक (FAR more than 2)	84000
3.	ग्रुप हाउसिंग	52500	
4.	संस्थागत		
क.	सीनियर सैकंडेरी स्कूल, इण्टर कॉलेज, डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स, इन्जीनियरिंग मेडिकल कालेज, कालेज, डेन्टल कालेज, यूनिवर्सिटी, नर्सरी स्कूल, स्पोर्ट्स कॉलेज/स्पोर्ट्स ऐकडमी आदि		
	- 4,000 वर्ग मी० तक	18030	
	- 4,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक	16280	
	- 8,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक	14540	
	- 20,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक	12770	
	- 40,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक	11050	
	- 80,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त	10990	
ख.	सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर		
	I) विद्युत सब स्टेशन, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि के सरकारी कार्यालय	14290	
	II) मिल्क बूथ आदि (पराग/मदर डेयरी)	14290	
	III) धार्मिक स्थल/ अनाथालय/विधवा आश्रम/वृद्धाश्रम	12210	
	IV) अस्पताल	27330	
ग.	कॉरपोरेट आफिस	52500	
5.	आई०टी० एण्ड आई०टी०ई०एस०		
	- 4,000 वर्ग मी० तक	20590	
	- 4,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक	18600	
	- 8,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक	16610	
	- 20,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक	14600	
	- 40,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक	12590	
	- 80,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त	10880	

Handwritten signature

1/3



6.	औद्योगिक	
	– 4,000 वर्ग मी० तक	15670
	– 4,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक	13350
	– 8,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक	11330
	– 20,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक	10270
	– 40,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक	9920
	– 80,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त	9550
7.	वेयर हाउसिंग, लाजिस्टिक पार्क / फ्रेट कॉम्प्लेक्स :-	उपरोक्त क्रमांक 6 औद्योगिक दरों के समान दर।
8.	रिक्रीशनल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स / रेस कोर्स	
	– 4,000 वर्ग मी० तक	14590
	– 4,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक	13180
	– 8,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक	11530
	– 20,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक	10690
	– 40,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक	10030
	– 80,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त	9220
9.	ट्रान्सपोर्ट	70000
10.	मिक्स लैंड यूज	

**Core activity with support activity (FAR Upto 2 for Commercial Activity)**

Size of Plot	Industry (Rate Per Sq. Mtr)	Institution (Rate Per Sq. Mtr)	Recreational (Rate Per Sq. Mtr)
40,000 to 59,999 Sq. Mtr	21670	23790	20980
60,000 to 79,999 Sq. Mtr	21260	23180	20660
80,000 to 99,999 Sq. Mtr	21000	22660	20420
1,00,000 to 119,999 Sq. Mtr	20850	22350	20280
1,20,000 to 1,39,999 Sq. Mtr	20720	22130	20120
1,40,000 to 159,999 Sq. Mtr	20610	21980	19980
1,60,000 to 179,999 Sq. Mtr	20530	21860	19880
1,80,000 to 1,99,999 Sq. Mtr	20470	21770	19790
Above 200,000 Sq. Mtr	20420	21700	19730

**Core activity with support activity (FAR more than 2 for Commercial Activity)**

Size of Plot	Industry (Rate Per Sq. Mtr)	Institution (Rate Per Sq. Mtr)	Recreational (Rate Per Sq. Mtr)
40,000 to 59,999 Sq. Mtr	22790	24910	22100
60,000 to 79,999 Sq. Mtr	22380	24300	21780
80,000 to 99,999 Sq. Mtr	22120	23780	21540
1,00,000 to 119,999 Sq. Mtr	21970	23470	21400
1,20,000 to 1,39,999 Sq. Mtr	21840	23250	21240
1,40,000 to 159,999 Sq. Mtr	21730	23100	21100
1,60,000 to 179,999 Sq. Mtr	21650	22980	21000
1,80,000 to 1,99,999 Sq. Mtr	21590	22890	20910
Above 200,000 Sq. Mtr	21540	22820	20850

MF

11.	मेडिकल डिवाइस पार्क	
	– 4,000 वर्ग मी० तक	7730
	– 4,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक	6585
	– 8,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक	5585
	– 20,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक	5060
	– 40,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक	4895
	– 80,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त	4705

उक्त दरे दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी होंगी।

(विशम्भर बाबू)  
महाप्रबन्धक (वित्त)

- निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का सादर सूचनार्थ।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय(एन०/के०) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त विशेष कार्याधिकारी/महाप्रबन्धक/विभागध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- उप महाप्रबन्धक (वित्त)।
- सम्पत्ति विभाग के समस्त प्रभारी अधिकारी।
- प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेब साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- गार्ड फाईल।

(विशम्भर बाबू)  
महाप्रबन्धक (वित्त)